भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2057
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय

2057. **श्री राजकुमार रोतः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए जा रहे मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है;
(ख) क्या उनके कार्यभार और वर्तमान मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए उन्हें पर्याप्त भुगतान किया जा रहा है, यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए जा रहे मानदेय में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है और इन भुगतानों को दिए जाने के समय में भिन्नता है;
(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का उन्हें मानदेय का संपूर्ण भुगतान समय पर करने का प्रस्ताव है;
(ड) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का राजस्थान में आंगनवाड़ी केन्द्रों में संविदा कंपनियों द्वारा पूरक पोषाहार वितरण की वर्तमान प्रणाली की जगह पुनः पूर्व की भांति स्वयं-सहायता समूहों द्वारा तैयार भोजन का वितरण शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) : भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में वृद्धि करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) का मानदेय अंतिम बार 1 अक्टूबर, 2018 को संशोधित किया गया था। संशोधन के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) की आंगनवाड़ी कार्यर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह किया गया था। मानदेय केन्द्र और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर जारी किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

विधानमंडल वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र - 60:40
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर सहित) - 90:10
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र- 100:0

इसके अलावा, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये का निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और परामर्श के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को गैर योजना से संबंधित कार्यों में शामिल न करें ताकि उनके समय का उपयोग योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम उठाए गए/पहल की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को (किसी भी कारण से जीवन जोखिम, मृत्यु को कवर करता है) के लिए 2.00 लाख रुपये के जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

(iii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को उन्हें कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(iv) राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत खुद को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि यानी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज देने की घोषणा की गई है।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देश भर में इन लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करने के लिए एक आंगनवाड़ी सहायिका जोड़ी जाएगी।

इसके अलावा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पोषण ट्रैकर के माध्यम से कार्यभार को कम करने के लिए आईटी सिस्टम का लाभ उठाया गया है जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित कर दिया है।

(ड.) और (च) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रिओं एवं सहायिकाओं को मानदेय"के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2057 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अपने स्वयं के स्रोतों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दी जाने वाला अतिरिक्त मानदेय/ प्रोत्साहन (प्रति माह) रुपये में**	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	**आंगनवाड़ी सहायिका**
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) , 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (10 वर्ष से अधिक सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)

14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)।	3100 (प्रति वर्ष 250 वेतन वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800- मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए और 2750- लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	एक प्रायद्वीप	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुद्दुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	2000+ 1000, 16.01.2024 से प्रभावी	2000+ 1000 16.01.2024 से प्रभावी
29	असम	मुख्य आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियों के लिए 2000 और लघु आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियों के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नगालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 न्यूनतम	4218 (अधिकतम) एवं 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

*****